रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, शनिवार, मई 12, 2007/वैशाख 22, 1929

No. 221] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12, 2007/VAISAKHA 22, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2007

सं. 68/2007-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 344(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के इस बात का समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 21/2007-सीमा शुल्क जो सा.का.नि. सं. 118(अ), दिनांक 1 मार्च, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, को रद्द करती है ।

[फा. सं. 334/1/2007-टी आर यू]

जी.जी. पई, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2007

No. 68/2007-CUSTOMS

G.S.R. 344(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2007-Customs, dated the 1st March, 2007, which was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2007.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

G.G. PAI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2007

सं. 69/2007-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 345(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के इस बात का समाधान होने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 28/2007-सीमा शुल्क जो सा.का.नि. सं. 125(अ), दिनांक 1 मार्च, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, "वित्त विधेयक (सं. 22), 2007 के खंड 126 के सपठित खंड 129 के साथ पठित जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण" शब्दों और संख्याओं "जो उक्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की धारा 136 के

सपठित धारा 139 के साथ पठित, केन्द्र सरकार के इस बात का समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. 69/2004-सीमा शुल्क जो उसी तारीख को सा.का.नि. सं. 411 (अ), के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, के अंतर्गत शामिल किये गये सभी माल को उक्त वित्त अधिनियम की धारा 136 सपठित धारा 139 के साथ पठित के अंतर्गत उस पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर से छूट प्रदान करती है," को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

[फा. सं. 334/1/2007-टी आर यू]

जी.जी. पई, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 28/2007-सीमा शुल्क को सा.का.नि. 125(अ), दिनांक 1 मार्च, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2007

No. 69/2007-CUSTOMS

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 28/2007-Customs, dated the 1st March, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 125 (E), dated the 1st March, 2007, namely :—

In the said notification, in the Preamble, for the portion beginning with words and figures "read with clause 126 read with clause 129 of the Finance Bill (No. 22), 2007, which by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931)," and ending with words "which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill", the following shall be substituted namely :—

"read with Section 136 read with Section 139 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts all goods covered under notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 69/2004-Customs, dated 9th July, 2004 which was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 411(E), of the same date, from the whole of the Secondary and Higher Education Cess leviable thereon under the said Section 136 read with Section 139 of the said Finance Act." shall be substituted.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

G.G. PAI, Under Secy.

Note : The principal notification No. 28/2007-Customs was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 125(E), dated the 1st March, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2007

सं. 70/2007-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 346(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 94 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के इस बात का समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 27/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो सा.का.नि. सं. 124(अ), दिनांक 1 मार्च, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, ऐसे रद्द करने से पहले की गई अथवा विलोपित की जाने वाली यथा संबंधित बातों को छोड़कर, उक्त अधिसूचना को रद्द करती है ।

[फा. सं. 334/1/2007-टी आर यू]

जी.जी. पई, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2007

No. 70/2007-CUSTOMS

G.S.R. 346(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with Sections 91 and 94 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 27/2007-Customs, dated the 1st March, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st March, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 124(E), dated the 1st March, 2007, excepts as respect things done or omitted to be done before such recession.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2007

सं. 25/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 347(अ).—वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की धारा 91 और 93 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार के इस बात का समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. 18/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो सा.का.नि. सं. 147 (अ), दिनांक 1 मार्च, 2007 के

तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, ऐसे रद्द करने से पहले की गई अथवा विलोपित की जाने वाली यथा संबंधित बातों को छोड़कर, उक्त अधिसूचना को रद्द करती है।

[फा. सं. 334/1/2007-टी आर यू]

जी. जी. पई, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2007

No. 25/2007-Central Excise

G.S.R. 347(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with Sections 91 and 93 of the Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 18/2007-Central Excise, dated the 1st March, 2007 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 147 (E), dated the 1st March, 2007, excepts as respects things done or omitted to be done before such recession.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

G. G. PAI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2007

सं. 27/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी)

सा.का.नि. 348(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (छठा संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004, के नियम 3 में,—

(i) उपनियम (1) में,—

(क) खंड (vi क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vi क) वित्त विधेयक, 2007 (2007 का 22) की धारा 138 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्कय माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर;"

(ख) खंड (x) के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(x क) वित्त विधेयक, 2007 (2007 का 22) की धारा 140 के साथ पठित धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय करादेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर; और";

(ii) उपनियम 7 के खंड (ख) में,—

(क) उपखंड (iii क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii क) वित्त विधेयक, 2007 (2007 का 22) की धारा 138 के साथ पठित धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्कय माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर;";

(ख) उपखंड (vi) के पश्चात् निम्नलिखित अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iv क) वित्त विधेयक, 2007 (2007 का 22) की धारा 140 के साथ पठित धारा 136 के अधीन उदग्रहणीय करादेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर ; और";

(ग) उपखंड (vii) के पश्चात् " विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी अन्तिम उत्पाद पर" शब्दों से आरंभ होने वाले और "ऐसे शुल्क के मद्दे उपयोग किया जाएगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किसी अन्तिम उत्पाद पर, क्रमश: उक्त अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तुएं) विधेयक, 1978 के अधीन उद्ग्रहणीय, यथास्थिति, उत्पाद शुल्क या सेवाकर या वित्त विधेयक, 2001 (2001 का 14) की धारा 136 के अधीन जब से करदायी हो राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क, या उक्त वित्त (सं. 2) विधेयक, 2004 (2004 का 23) की धारा 93 के साथ पठित धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर या वित्त विधेयक, 2007 (2007 का 22) की धारा 138 के साथ पठित धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क्यं माल पर माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा उपकर या वित्त विधेयक, 2003 (2003 का 32) की धारा 157 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या उक्त वित्त (सं. 2) विधेयक, 2004 (2004 का 23) की धारा 95 के साथ पठित धारा 91 के अधीन उद्ग्रहणीय करादेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर या वित्त विधेयक, 2007 (2007 का 22) की धारा 140 के साथ पठित धारा 136 के अधीन उद्ग्रहणीय करादेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर या वित्त विधेयक, 2005 (2005 का 18) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क या निवेश पर यदि ऐसे निवेश उस रूप में हटा लिया जाता है या आंशिक रूप से प्रसंस्कृत करने या किसी निर्गत सेवा के पश्चात् ऐसे शुल्क के मद्दे उपयोग किया जायेगा"

(घ) परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु उत्पाद शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर और करादेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर के प्रत्यय का उपयोग या तो उत्पाद-शुल्क्य माल पर शिक्षा उपकर के संदाय के लिए या कराधेय सेवाओं पर शिक्षा उपकर के संदाय के लिए किया जा सकता है।

परन्तु यह और कि उत्पाद शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर और करादेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के प्रत्यय का उपयोग या तो उत्पाद-शुल्क्य

माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के संदाय के लिए या कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के संदाय के लिए किया जा सकता है।"

[फा.सं. बी 1/6/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 23/2004 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी) तारीख 10 सितम्बर, 2004 में सा.का.नि. 600(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 26/2007 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी) तारीख 11 मई, 2007 द्वारा किया गया था जो सा.का.नि. 342(अ), तारीख 11 मई, 2007 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2007

No. 27/2007-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 348(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) and Section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004 namely:—

1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Sixth Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 in rule 2,

(i) in sub-rule (1),

(a) for clause (via), the following clause shall be substituted, namely :—

"(via) the Secondary and Higher Education Cess on excisable goods leviable under section 136 read with Section 138 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007)";

(b) After clause (x), the following clause shall be inserted, namely:—

"(xa) the Secondary and Higher Education Cess on taxable services leviable under Section 136 read with Section 140 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007); and;

(ii) in sub-rule (7), in clause (b),—

(a) for Sub-clause (iiia), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(iiia) the Secondary and Higher Education Cess on excisable goods leviable under Section 136 read with Section 138 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007);";

(b) After sub-clause (vi), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(via) the Secondary and Higher Education Cess on taxable services leviable under Section 136 read with Section 140 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007); and";

(c) After sub-clause (vii), for the portion beginning with the words "shall be utilized only towards payment of duty of excise" and ending with the words "after being partially processed or on any output service", the following shall be substituted, namely :—

"shall be utilized towards payment of duty of excise or as the case may be, of service tax leviable under the said Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 or the National Calamity Contingent Duty leviable under Section 136 of the Finance Act, 2001 (14 of 2001), or the Education Cess on excisable goods leviable under Section 91 read with Section 93 of the said Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2007), or the Secondary and Higher Education Cess on excisable goods leviable under Section 136 read with Section 138 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007), or the additional duty of excise leviable under Section 157 of the Finance Act, 2003 (32 of 2003), or the education cess on taxable services leviable under Section 91 read with Section 95 of the said Finance (No. 2) Act, 2004 (23 of 2004), or the Secondary and Higher Education Cess on taxable services leviable under Section 136 read with Section 140 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007), or the additional duty of excise leviable under Section 85 of the Finance Act, 2005 (18 of 2005) respectively, on any final products manufactured by the manufacturer or for payment of such duty on inputs themselves, if such inputs are removed as such or after being partially processed or on any output service";

(d) for the proviso, the following provisos shall be substituted, namely:—

"Provided that the credit of the education cess on excisable goods and the Education Cess on taxable services can be utilized, either for payment of the education cess on excisable goods or for the payment of the education cess on taxable services:

Provided further that the credit of the Secondary and Higher Education cess on excisable goods and the Secondary and Higher Education Cess on taxable services can be utilized, either for payment of the Secondary and Higher Education Cess on excisable goods or for the payment of the Secondary and Higher Education Cess on taxable services."

[F. No. B1/6/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification No. 23/2004-Central Excise (N.T.), dated the 10th September, 2004 *vide* GSR 600 (E), dated the 10 September 2004, and were last amended *vide* notification No. 26/2007-Central Exicse (N.T,), dated the 11th May, 2007, *vide* No. G.S.R. 342 (E), dated the 11th May, 2007.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2007

सं. 20/2007-सेवा कर

सा.का.नि. 349(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार संशोधन कर निम्नलिखित सेवा कर नियम, 1994 बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय (तीसरा संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राजपत्र में, प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सेवा कर नियम, 1994, नियम 7ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :–

"7ग, निश्चित समय में रिटर्न न भरने पर रकम अदा करनी पड़ेगी,–

नियम 7 के अंतर्गत निश्चित समय के पश्चात रिटर्न भरने पर, उस व्यक्ति को रिटर्न देरी से भरने के लिए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित अदा करना पड़ेगा–

(i) निश्चित तारीख के पश्चात 15 दिन तक रिटर्न देरी से भरने के लिए 500 रुपये;

(ii) निश्चित तारीख के पश्चात 15 दिन से 30 दिन तक रिटर्न देरी से भरने के लिए 1000 रुपये;

(iii) निश्चित तारीख के 30 दिन के पश्चात रिटर्न देरी से भरने के लिए 1000 रुपये और निश्चित तारीख के 31 वे दिन से लेकर रिटर्न भरने तक 100 रुपये प्रतिदिन;

परंतु नियम के अनुसार रिटर्न देरी से भरने के लिए धारा 70 में विनिर्दिष्ट रकम से ज्यादा अदा नहीं कर सकते हैं ।

परंतु और यदि कर निर्धारिती देरी से रिटर्न जमा करने के लिए नियम के अनुसार रकम अदा करता है, यदि कोई कार्य प्रणाली है तो वह पूर्ण समझी जायेगी ।

स्पष्टीकरण : यह घोषणा की जाती है कि धारा 77 के अंतर्गत देरी से जमा की गई रिटर्न पर या न जमा की गई रिटर्न पर, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत वित्त बिल 2007 से पहले 60 दिनों के भीतर कर निर्धारिती रकम जमा कर सकता है और यदि कोई कार्य प्रणाली है तो वह पूर्ण समझी जायेगी ।

[फा. सं. 334/1/2007–टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप–सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 2/94–सेवाकर, तारीख 28 जून, 1994 में [सा.का.नि. 546(अ), तारीख 28 जून, 1994] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 14/2007–सेवाकर, तारीख 2 अप्रैल, 2007 [सा.का.नि. 266(अ), तारीख 2 अप्रैल, 2007] द्वारा किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2007

No. 20/2007-Service Tax

G.S.R. 349(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely :—

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Third Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Service Tax Rules, 1994, after rule 7B, the following rule shall be inserted, namely :—

"7C. Amount to be paid for delay in furnishing the prescribed return.—

Where the return prescribed under rule 7 is furnished after the date prescribed for submission of such return, the person liable to furnish the said return shall pay to the credit of the Central Government, for the period of delay of—

(i) fifteen days from the date prescribed for submission of such return, an amount of five hundred rupees;

(ii) beyond fifteen days but not later than thirty days from the date prescribed for submission of such return, an amount of one thousand rupees; and

(iii) beyond thirty days from the date prescribed for submission of such return an amount of one thousand rupees plus one hundred rupees for every day from the thirty first day till the date of furnishing the said return :

Provided that the total amount payable in terms of this rule, for delayed submission of return, shall not exceed the amount specified in Section 70 of the Act:

Provided further that where the assessee has paid the amount as prescribed under this rule for delayed submission of return, the proceedings, if any, in respect of such delayed submission of return shall be deemed to be concluded.

Explanation.—It is hereby declared that any pending proceedings under Section 77 for delayed submission or non-submission of return that has been initiated before the date on which the Finance Bill, 2007 receives the assent of the President, shall also be deemed to be concluded if the amount specified for delay in furnishing the return is paid by the assessee within sixty days from the date of assent to the said Finance Bill.

[F. No. 334/1/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note : The principal rules were notified vide notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June 1994 and published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 546 (E), dated the 28th June 1994 and were last amended vide notification No. 14/2007-Service Tax, dated the 2nd April, 2007 vide G.S.R. 266(E), dated the 2nd April, 2007.

2391 GI/07–2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2007

सं. 21/2007-सेवा कर

सा.का.नि. 350(अ).—आयात सेवा नियम, 2005, की धारा 5, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 11/2005-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2005, सा.का.नि. 239(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, पैराग्राफ (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित पैराग्राफ अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(ग) वित्त विधेयक, 2007 (2007 का 22) के साथ धारा 136 के साथ पठित धारा 140 के अधीन, उद्ग्रहणीय करादेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर"

[फा. सं. बी1/6/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 11/2005-सेवाकर, तारीख 19 अप्रैल, 2005 [सा.का.नि. 239(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2005] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2007

No. 21/2007-Service Tax

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Export of Services Rules, 2005, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.11/2005-Service Tax, dated the 19th April, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 239(E) dated the 19th April, 2005, namely:—

In the said notification, in the Explanation, after paragraph (b), the following paragraph shall be inserted, namely:—

"(c) Secondary and Higher Education Cess on taxable services levied under Section 136 read with Section 140 of the Finance Act, 2007 (22 of 2007)."

[F. No. B1/6/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note : The principal notification No.11/2005-Service Tax, dated the 19th April, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 19th April, 2005;

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2007

सं. 22/2007-सेवा कर

सा.का.नि. 351(अ).—आयात सेवा नियम, 2005, की धारा 5, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2005-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2005, सा.का.नि. 240(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण 1 में, पैराग्राफ (ख) के पश्चात् निम्नलिखित पैराग्राफ अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात :–

"(ग) वित्त विधेयक, 2007 (2007 का 22) के साथ धारा 136 के साथ पठित धारा 140 के अधीन, उद्ग्रहणीय करादेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर."

[फा. सं. बी1/6/2007-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप-सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 12/2005-सेवा कर, तारीख 19 अप्रैल, 2005 [सा.का.नि. 240(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2005] द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 14/2005-सेवा कर, तारीख 13 मई, 2005 [सा.का.नि. 302(अ), तारीख 13 मई, 2005] द्वारा किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2007

No. 22/2007-Service Tax

G.S.R. 351(E).—In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Export of Services Rules, 2005, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2005-Service Tax, dated the 19th April, 2005 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 240(E) dated the 19th April, 2005, namely:—

In the said notification, in Explanation 1, after paragraph (b), the following paragraph shall be inserted, namely:—

"(c) Secondary and Higher Education Cess on taxable services levied under Section 136 read with Section 140 ofthe Finance Act, 2007 (22 of 2007)."

[F. No. B1/6/2007-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 12/2005-Service Tax, dated the 19th April, 2005 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 240(E), dated the 19th April, 2005, and was last amended *vide* notification No. 14/2005-Service Tax, dated the 13th May, 2005 *vide* G.S.R. 302(E), dated the 13th May, 2005;

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.